न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
025/2021 (GCMS 2021/25)	26.02.2021	15.04.2021

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. सुजानमल चीपड पुत्र सोहनलाल चीपड (विक्रेता/एफ.बी.ओ.)
फर्म मानसी प्लाजा, 7 ए मीरा नगर,
पंचायत समिति के सामने चित्तौड़गढ़ राज.,
स्थाई निवास ए 5 महेश नगर, बांगड सर्विस स्टेशन के पीछे भीलवाडा रोड चित्तौड़गढ़।
2. राजकुमार जैन पुत्र ओमप्रकाश जैन (प्रोपरायटर)
फर्म/मैसर्स विकास एजेन्सीज,
दुकान नं. 01, बालाजी मार्केट सेतु मार्ग चित्तौड़गढ़ राज.,
स्थायी निवास 199 बीएसएनएल टॉवर के पास,
शास्त्री नगर चित्तौड़गढ़ राज., पिनकोड 312001
3. श्रीमति संतोष डाड पत्नि राकेश डाड (प्रोपरायटर)
फर्म/मैसर्स अंजली फूड इण्डस्ट्रीज,
न्यू ईरान्स, कोटा रोड, सुवाना जिला भीलवाडा,
स्थायी पता 8 एम 4, आर.सी. व्यास कॉलोनी, अंजली, भीलवाडा पिनकोड 311001

अप्रार्थीगण

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदनलाल गूजर ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहे थे, और इनका गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 26 जुलाई 2011 के गजट भाग 2(क) के क्रमांक 53 पर अंकित है, जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियाँ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:13 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक **FSSA/2020/818** दिनांक 21.01.2020 के अनुसार विशेष अभियान (दीपावली त्यौहार) शुद्ध के लिये युद्ध अभियान दिनांक 26.10.2020 से 14.11.2020 तक आयोजित करने के संबंध में इनका कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया है। गजट नोटिफिकेशन, अधिसूचना एवं आदेश की सत्यापित छाया प्रतियाँ न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.10.2020 को समय 11.02 ए.एम पर कस्बा चित्तौड़गढ़ (राज.) पर जिला कलक्टर द्वारा गठित संयुक्त जॉच दल के साथ मैसर्स मानसी प्लाजा 7, ए मीरा नगर, पंचायत समिति के सामने चित्तौड़गढ़ पर पहुंचें पर सुजानमल चीपड उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर सुजानमल चीपड ने स्वंय को मैसर्स मानसी प्लाजा, 7 ए मीरा नगर, पंचायत समिति के सामने चित्तौड़गढ़ (राज.) का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर मौके पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र बताया जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सुजानमल चीपड उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि में आम जनता को विक्रय करने हेतु गुड, तेल, घी, मसाले व चाय खुली, मंगलम ब्राण्ड, आदि के साथ राजगिरा आटा अंजली ब्राण्ड (**Rajgira Atta Anjali Brand**) जिसके बैच नं. 116 व पैकिंग दिनांक 10/2020 थी, दुकान में 400-400 ग्राम के पॉली पैक वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये, में को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने वनिरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो सुजानमल चीपड़ को फार्म नं. **VA Form** दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ. सुजानमल चीपड व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह राजगिरा आटा अंजली ब्राण्ड (**Rajgira Atta Anjali Brand**) को वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय कर रहा हूँ, दुकान में राजगिरा आटा अंजली ब्राण्ड रखें हुये में से 400-400 ग्राम के ज्यों का त्यों साफ प्रिन्टेड 4 मूल पैक राजगिरा आटा अंजली ब्राण्ड का चयन किया एवं वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता सुजानमल चीपड को उनके मांगे अनुसार बाजार भाव से रूपये 160/- अक्षरे एक सौ साठ रूपये मात्र नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस का विक्रेता व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवायें एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा व चयनशुदा 400-400 ग्राम के 4 नग कुल मात्रा 1600 ग्राम राजगिरा आटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:13 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अंजली ब्राण्ड (**Rajgira Atta Anjali Brand**) को सुजानमल चीपड एवं गवाहान को दिखाकर उक्त को 400–400 ग्राम मूल पैक के बराबर–बराबर (प्रत्येक भाग में 1–1 पैकेट कुल मात्रा 400 ग्राम) अलग–अलग ज्यों का त्यों साफ प्रिन्टेड चयन कर चार अलग–अलग साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर, डिब्बों के ढक्कन को एयरटाईट बन्द किया एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक **AM-1222** एवं पूर्ण विवरण अंकित किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता सुजानमल चीपड तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करायें तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्पिल नंबर **AM-1222** नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्पिल व रेपर दोनों पर आवें चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूनाभागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे सुजानमल चीपड ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये मौके पर तैयार सभी दस्तावेज अपने कब्जे में लियें। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया, दो फार्म सं. 6 की प्रतियॉ अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को नमूना का एक तैयार शुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया व शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं 6 की एक प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा करवाने हेतु तैयार किये एवं डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जमा करवाया एवं डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ ने रोशनलाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 29.10.2020 को खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाने हेतु भेजा गया एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। नमूने के शेष 2 भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:13 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को दिनांक 29.10.2020 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मौके पर राजगिरा आटा अंजली ब्राण्ड का नमूना क्रय करते समय सुजानमल चीपड पुत्र सोहनलाल चीपड मैसर्स मानसी प्लाजा, 7 ए मीरानगर पंचायत समिति के सामने, चित्तौड़गढ़ (राज.) ने मौके पर बतौर वारंटी मैसर्स विकास एजेन्सी महाराणा प्रताप सेतु मार्ग चित्तौड़गढ़ का खरीद बिल/इन्वाईस नंबर 809 दिनांक 24.10.2020 प्रस्तुत कर खाद्य पदार्थ राजगिर आटा अंजली ब्राण्ड क्रय करना बताया है। जिसकी छायाप्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/4494 दिनांक 02.11.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एल.एस. /218/एक्ट/2020/227 दिनांक 30.10.2020 के अनुसार एफ.बी.ओं. सुजानमल चीपड से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया राजगिरा आटा अंजली ब्राण्ड (**Rajgira Atta Anjali Brand**) एफ.एस.एस. ए.की धारा **3(i)(zf)(C)(i)** का उल्लंघन करने के कारण मिथ्याछाप (**Mis-Branded**) स्तर का होना पाया गया जितकी जाँच रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है, जिसकी सूचना सुजानमल चीपड पुत्र सोहनलाल चीपड मालिक मैसर्स मानसी प्लाजा, 7 ए मीरा नगर, पंचायत समिति के सामने, चित्तौड़गढ़ व प्रबंधक मैसर्स विकास एजेंसी दुकान नंबर 1 बालाजी मार्केट महाराणा प्रताप सेतु मार्ग, चित्तौड़गढ़ को मय रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई गयी थी जिसकी रजिस्ट्री रसीद न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स विकास एजेन्सीज दुकान नंबर 1 बालाजी मार्केट महाराणा प्रताप सेतु मार्ग चित्तौडगढ को पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2020/423 दिनांक 23.11.2020 प्रेषित कर उक्त फर्म से सम्बन्धित दस्तावेज चाहे गये जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म से सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ–साथ बतौर वारन्टी मैसर्स अंजली फूड इण्डस्ट्रीज, कोटा रोड सुवाना जिला भीलवाडा का खरीद बिल क्रमाक/इन्वॉइस नंबर 2314 दिनांक 07.10.2020 प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स अंजली फूड इण्डस्ट्रीज कोटा रोड सुवाना जिला भीलवाडा को पत्र क्रमांक/ एफएसएसए/2020/471 दिनांक 17.12.2020 प्रेषित कर उक्त फर्म से सम्बन्धित दस्तावेज चाहे गये जिसके प्रति उत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म से सम्बन्धित दस्तावेज प्रेषित कर श्रीमति संतोष डाड पत्नि राकेश डाड को उक्त फर्म का प्रोपरायटर होना बताया। प्रेषित दस्तावेज न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक द्वारा प्रकरण से सम्बंधित अनुसंधान पूर्ण होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ के समक्ष न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अभियोजन स्वीकृति चाहने बाबत दिनांक 27.01.2021 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:13 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली प्रस्तुत की, अभिहित अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं 2011 की धारा 36 की उप धारा 3(ङ) के तहत समस्त पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर पत्र क्रमांक एफ. एस.एस.ए./2021/387 दिनांक 28.01.2021 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण में अंकित अभियुक्तों के विरुद्ध न्याय निर्णयन आवेदन न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष पेश/प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया है। प्रकरण में अंकित दोषी व्यक्ति व संस्थान सुजानमल चीपड पुत्र सोहनलाल चीपड (विक्रेता/एफ.बी.ओ.) फर्म मानसी प्लाजा, 7 ए मीरा नगर, पंचायत समिति के सामने चित्तौड़गढ़ राज., स्थाई निवास ए 5 महेश नगर, बांगड सर्विस स्टेशन के पीछे भीलवाडा रोड चित्तौड़गढ़, राजकुमार जैन पुत्र ओमप्रकाश जैन (प्रोपरायटर) फर्म/मैसर्स विकास एजेन्सीज, दुकान नं. 01, बालाजी मार्केट सेतु मार्ग चित्तौड़गढ़ राज., स्थायी निवास 199 बीएसएनएल टॉवर के पास, शास्त्री नगर चित्तौड़गढ़ राज., पिनकोड 312001 एवं श्रीमति संतोष डाड पत्नि राकेश डाड (प्रोपरायटर) फर्म/मैसर्स अंजली फूड इण्डस्ट्रीज, न्यू ईरान्स, कोटा रोड, सुवाना जिला भीलवाडा, स्थायी पता 8 एम 4, आर.सी. व्यास कॉलोनी, अंजली, भीलवाडा पिनकोड 311001 ने राजगिरा आटा अंजली ब्राण्ड (**Rajgira Atta Anjali Brand**) को मिथ्याछाप (**Mis-Branded**) स्तर का बनाकर विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (**ii**) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 मे निर्धारित है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन प्रस्तुत कर दिया गया है जिसे स्वीकार निवेदन है कि उक्त अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के के समर्थन में शहादत सूची प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली है। शहादत सूची के अनुसार गवाह संख्या 1 डॉ0 मदनलाल गूजर, हाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक, गवाह संख्या 2 महेन्द्र सिंह पिता तेजसिंह चौहान निवासी 167 शास्त्री नगर चित्तौड़गढ़ (मौके का गवाह) एवं गवाह संख्या 3 शिवराम चौधरी पिता पाचुराम, प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ पेश किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। दस्तावेज क्रमांक 1 अभिहित अधिकारी द्वारा जारी अभियोजन स्वीकृति दिनांक 28.01.2021, दस्तावेज क्रमांक 2 अभिहित अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रेषित पत्र दिनांक 27.01.2021, दस्तावेज क्रमांक 3 गजट नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011, दस्तावेज क्रमांक 4 पदस्थापन आदेश दिनांक 10.08.2011, दस्तावेज क्रमांक 5 कार्यक्षेत्र आवंटन आदेश दिनांक 11.04.2012, दस्तावेज क्रमांक 6 अभियान शुद्ध के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:13 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लिये युद्ध अभियान हेतु जिला चित्तौड़गढ़ कार्यक्षेत्र आवंटन आदेश दिनांक 21.10.2020, दस्तावेज क्रमांक 8 अभियान शुद्ध के लिये युद्ध अभियान हेतु जिला चित्तौड़गढ़ हेतु गठित दल के कार्यक्षेत्र आवंटन आदेश दिनांक 21.10.2020, दस्तावेज क्रमांक 7 जिला टोंक से कार्यमुक्त आदेश दिनांक 23.10.2020, दस्तावेज क्रमांक 8 नमूना क्रय रसीद मूल दिनांक 28.10.2020, दस्तावेज क्रमांक 9 फार्म नंबर 5 ए मूल दिनांक 28.10.2020, दस्तावेज क्रमांक 10 फर्द रिपोर्ट मूल दिनांक 28.10.2020, दस्तावेज क्रमांक 11 मैसर्स विकास एजेंसी, महाराणा प्रताप सेतु मार्ग, चित्तौड़गढ़ के वारंटी बिल की छाया प्रति दिनांक 24.10.2020, दस्तावेज क्रमांक 12 फार्म नंबर 6 की मूल प्रति दिनांक 28.10.2020, दस्तावेज क्रमांक 13 खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर से नमूना जमा रसीद दिनांक 29.10.2020, दस्तावेज क्रमांक 14 अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की प्राप्ति रसीद दिनांक 29.10.2020, दस्तावेज क्रमांक 15 खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर की खाद्य नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 30.10.2020, दस्तावेज क्रमांक 16 अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी व संबंधित कारोबारकर्त्ताओं को जांच रिपोर्ट की प्रति व धारा 46 के तहत पुनः अपील बाबत् अग्रेषण पत्र की प्रति दिनांक 02.11.2020, दस्तावेज क्रमांक 17 मैसर्स विकास एजेंसी, महाराणा प्रताप सेतु मार्ग, चित्तौड़गढ़ को फार्म नंबर 5 ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने बाबत् पत्र दिनांक 23.11.2020, दस्तोवज क्रमांक 18 मैसर्स विकास एजेंसी, महाराणा प्रताप सेतु मार्ग, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित दस्तावेज दिनांक 17.12.2020, दस्तावेज क्रमांक 19 मैसर्स अंजली फूड इण्डस्ट्रीज, कोटा रोड सुवाना जिला भीलवाडा का वारंटी बिल दिनांक 07.10.2020, दस्तावेज क्रमांक 20 मैसर्स अंजली फूड इण्डस्ट्रीज, कोटा रोड सुवाना जिला भीलवाडा को फार्म नंबर 5 ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने बाबत् पत्र दिनांक 17.12.2020, दस्तावेज क्रमांक 21 मैसर्स अंजली फूड इण्डस्ट्रीज, कोटा रोड सुवाना जिला भीलवाडा द्वारा प्रेषित दस्तावेज दिनांक 13.01.2021 उक्त दस्तावेज शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

इस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 07.04.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 एवं 3 हाजिर आयें एवं अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 उक्त खाद्य पदार्थ के निर्माता नहीं होकर केवल मात्र विक्रेता है जो कि निर्माता से पैक्ड खाद्य पदार्थ क्रय कर विक्रय करते है। खाद्य पदार्थ के मिसब्राण्ड पाये जाने पर कोई जवाबदेहिता नहीं होती है क्योंकि उक्त खाद्य पदार्थ के अप्रार्थी संख्या 1 निर्माता नहीं है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:13 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जावें। अप्रार्थी संख्या 3 ने जवाब परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीया के पूर्व में किसी भी जांच में खाद्य पदार्थ पूर्ण गुणवत्तापूर्ण पाये गये। यह प्रथम जांच है जिसमें अप्रार्थी का खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड पाया गया है। खाद्य पदार्थ पूर्ण गुणवत्तापूर्ण पाया गया एवं केवल लेबलिंग की मामूली त्रुटि है, जिस संबंध में प्रार्थीया द्वारा सुधार किया जा चुका है। अप्रार्थीया की आजीविका को एकमात्र साधन उक्त व्यवसाय ही है एवं अप्रार्थीया छोटी व्यापारी है इसके साथ ही अप्रार्थीया का प्रथम दोष है अतः अप्रार्थीया को माफ कराया जावें। अप्रार्थीया न्यायालय के समक्ष अपनी वचनबद्धता देती है कि अप्रार्थीया भविष्य में नियमानुसार एवं विधि अनुसार कार्यवाही कर अपना व्यवाय करेगी। अतः जवाब कार्यवाही प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीया के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जावें। अप्रार्थीगण के और से प्रस्तुत जवाब परिवाद शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 15.04.2021 को अप्रार्थी संख्या 2 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। हमने पत्रावली को बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक प्रावधानों के तहत उक्त फर्म के खाद्य पदार्थ का नमूना किये जाने के लिये अधिकृत है जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 3 से 8 तक से होती है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 8 एवं 9 नमूना क्रय रसीद एवं फार्म नंबर 5 ए की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ राजगिरा आटा अंजली ब्राण्ड (**Rajgira Atta Anjali Brand**) का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर विपक्षी एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि दस्तावेज क्रमांक 8 से होती है, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर है, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 10 से जाहिर होता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 28.10.2020 को मौके पर की गई। दस्तावेज क्रमांक 10 मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 28.10.2020 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ राजगिरा आटा अंजली ब्राण्ड (**Rajgira Atta Anjali Brand**) जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध है से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1222** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:13 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 53 से सील चपडी किया। इस से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 12 फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रवाहक रोशनलाल के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक **AM-1222** मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 13 से होती है। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 13 का अवलोकन किया जिससे से जाहिर होता है कि पत्रवाहक रोशनलाल द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 29.10.2020 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(ii) एवं 2.4.1(10)(iii) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद दस्तावेज क्रमांक 14 का अवलोकन किया जिस से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विपक्षी से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गयें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 16 के अवलोकन से जाहिर होता है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2020/4494 दिनांक 02.11.2020 से अप्रार्थी को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या **LS 218/Act/2020/227 Dated 30-10-2020** की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने दस्तावेज क्रमांक 16 खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट **LS 218/Act/2020/227 Dated 30-10-2020** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

Report LS 218/Act/2020/227 Dated 30-10-2020

Certified that I RAVI SETHI duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for RAJASTHAN STATE received from Sh. Dr. Madan Lal Gujar, Food Safety Officer of District Chittorgarh, a sample of Rajgira Atta (Anjali) bearing code no. and serial no. AM-1222 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O, District Chittorgarh on 29.10.2020 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows Brass Seal No 53 Intact and unbroken. The seals fixed on the container and outer cover tallied with the specimen seal impression sent separately, along with the copy of the memorandum, in sealed envelope.

I found the sample to be Rajgira Atta falling under Regulation No. 2.12.1(Proprietary food) of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:13 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2011.The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 29.10.2020 to 30.10.2020 and the result of its analysis is given below-

ANALYSIS REPORT---
(i) Sample description:- The sample packed in wide mouth plastic pet jar having original company plastic poly pack of 400gm.
(ii) Physical appearance:- Creamish in colour, free flow, No insect infestation visible to naked eye.
(iii) Label :-- Brand- Anjali, Name of food- Rajgira Atta, Mfg. by- Anjali Food Industries, New Irans, Kota Road, Bhilwara- 311001, Pkd. on.- 10/2020, Batch No.- 116, Best before Four Months from packaging, Green symbol of veg.- Present. Fssai FSSL. no.- 12215016000121. Bar code no. 8908002434415. Ingredients- Absent Violation of regulation no. 2.2.2(2)(a)(b) of Food Safety and Standards (Packaging & Labelling) Regulations 2011.

Opinion:- The sample of Rajgira Atta (Anjali) bearing code no. and serial no. AM- 1222 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O, of District Chittorgarh is misbranded food. The sample is misbranded food under section 3(1)(zf)(C)(i) of the Food Safety & Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदन लाल गूजर द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 53 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक का प्राप्त हुआ। उक्त नमूना दिनांक 29.10.2020 से 30.10.2020 तक को जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **Rajgira Atta falling under Regulation No. 2.12.1(Proprietary food) of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011., एवं Brand- Anjali, Name of food- Rajgira Atta, Mfg. by- Anjali Food Industries, New Irans, Kota Road, Bhilwara- 311001, Pkd. on.- 10/2020, Batch No.- 116, Best before Four Months from packaging, Green symbol of veg.- Present. Fssai FSSL. no.- 12215016000121. Bar code no. 8908002434415. Ingredients- Absent Violation of regulation no. 2.2.2(2)(a)(b) of Food Safety and Standards (Packaging & Labelling) Regulations 2011.** है, एवं उक्त नमूना जिस पर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1222** राजगिरा आटा अंजली ब्राण्ड (**Rajgira Atta Anjali Brand**) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zf)(C)(i)** के तहत मिस ब्राण्ड स्तर का पाया गया है। जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 15 खाद्य विश्लेषक द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई है जो कि रिकार्ड पर है। हमने अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2020/4494 दिनांक 02.11.2020 से अप्रार्थी को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया जो कि दस्तावेज क्रमांक 16 है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/ एफएसएसए/2021/389 दिनांक 28.01.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:13 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(e) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया है जो कि दस्तावेज क्रमांक 1 अभियोजन स्वीकृति होकर रिकार्ड पर है। विपक्षी द्वारा परिवाद के संबंध में स्वीकारोक्ति प्रस्तुत की जाकर परिवाद को स्वीकार किया जाना जाहिर होता है। इसके साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित कराया गया एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। निर्माता को निर्माण/पैकिंग के समय ही लेबल पर नियमानुसार सभी आवश्यक पूर्तियां करनी चाहिये थी, किन्तु अप्रार्थी का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है। सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का अवलोकन किया अधिनियम की धारा 25 से 27 में निम्न प्रावधान प्रावधित किये गये हैं :–

25. All imports of articles of food to be subject to this Act.

(1) No person shall import into India –

- (i) any unsafe or misbranded or sub-standard food or food containing extraneous matter;
- (ii) any article of food for the import of which a licence is required under any Act or rules or regulations, except in accordance with the conditions of the licence; and
- (iii) any article of food in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder or any other Act.

(2) The Central Government shall, while prohibiting, restricting or otherwise regulating import of article of food under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), follow the standards laid down by the Food Authority under the provisions of this Act and the Rules and regulations made thereunder.

26. Responsibilities of the Food business operator.

(1) Every food business operator shall ensure that the articles of food satisfy the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder at all stages of production, processing, import, distribution and sale within the businesses under his control.

(2) No food business operator shall himself or by any person on his behalf manufacture, store, sell or distribute any article of food –

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:13 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(i) which is unsafe; or

(ii) which is misbranded or sub-standard or contains extraneous matter; or

(iii) for which a licence is required, except in accordance with the conditions of the licence; or

(iv) which is for the time being prohibited by the Food Authority or the Central Government or the State Government in the interest of public health; or

(v) in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder.

(3) No food business operator shall employ any person who is suffering from infectious, contagious or loathsome disease.

(4) No food business operator shall sell or offer for sale any article of food to any vendor unless he also gives a guarantee in writing in the form specified by regulations about the nature and quality of such article to the vendor: Provided that a bill, cash memo, or invoice in respect of the sale of any article of food given by a food business operator to the vendor shall be deemed to be a guarantee under this section, even if a guarantee in the specified form is not included in the bill, cash memo or invoice.

(5) Where any food which is unsafe is part of a batch, lot or consignment of food of the same class or description, it shall be presumed that all the food in that batch, lot or consignment is also unsafe, unless following a detailed assessment within a specified time, it is found that there is no evidence that the rest of the batch, lot or consignment is unsafe: Provided that any conformity of a food with specific provisions applicable to that food shall be without prejudice to the competent authorities taking appropriate measures to impose restrictions on that food being placed on the market or to require its withdrawal from the market for the reasons to be recorded in writing where such authorities suspect that, despite the conformity, the food is unsafe.

27. Liability of the manufacturers, packers, wholesalers, distributors and sellers

(1) The manufacturer or packer of an article of food shall be liable for such article of food if it does not meet the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder.

(2) The wholesaler or distributor shall be liable under this Act for any article of food which is–

(a) Supplied after the date of its expiry; or

(b) Stored or supplied in violation of the safety instructions of the manufacturer; or

(c) Unsafe or misbranded; or

(d) Unidentifiable of manufacturer from whom the article of food have been received; or

(e) Stored or handled or kept in violation of the provisions of this Act, the rules and regulations made thereunder; or

(f) received by him with knowledge of being unsafe.

(2) The seller shall be liable under this Act for any article of food which is –

(a) sold after the date of its expiry; or

(b) handled or kept in unhygienic conditions; or

(c) misbranded; or

(d) unidentifiable of the manufacturer or the distributors from whom such articles of food were received; or

(e) received by him with knowledge of being unsafe.

अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:13 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अप्रार्थीगण द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थीगण को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थीगण को उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में विपक्षीगण जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रेता/निर्माता है जिससे अप्रार्थी संख्या 1 श्री सुजानमल चीपड पुत्र सोहनलाल चीपड (विक्रेता/एफ.बी.ओ.) फर्म मानसी प्लाजा, 7 ए मीरा नगर, पंचायत समिति के सामने चित्तौड़गढ़ राज., स्थाई निवास ए 5 महेश नगर, बांगड सर्विस स्टेशन के पीछे भीलवाडा रोड चित्तौड़गढ़, अप्रार्थी संख्या 2 श्री राजकुमार जैन पुत्र ओमप्रकाश जैन (प्रोपरायटर) फर्म/मैसर्स विकास एजेन्सीज, दुकान नं. 01, बालाजी मार्केट सेतु मार्ग चित्तौड़गढ़ राज., स्थायी निवास 199 बीएसएनएल टॉवर के पास, शास्त्री नगर चित्तौड़गढ़ राज., पिनकोड 312001 एवं अप्रार्थी संख्या 3 श्रीमति संतोष डाड पत्नि राकेश डाड (प्रोपरायटर) फर्म/मैसर्स अंजली फूड इण्डस्ट्रीज, न्यू ईरान्स, कोटा रोड, सुवाना जिला भीलवाडा, स्थायी पता 8 एम 4, आर.सी. व्यास कॉलोनी, अंजली, भीलवाडा पिनकोड 311001 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 52 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 52 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.

While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,

(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,

(c) The repetitive nature of the contravention,

(d) Whether the contravention is without his knowledge, and

(e) Any other relevant factor,

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:13 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

52. Penalty for misbranded food.

(1) Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is misbranded, shall be liable to a penalty which may extend to three lakh rupees.

(2) The Adjudicating Officer may issue a direction to the person found guilty of an offence under this section, for taking corrective action to rectify the mistake or such article of food shall be destroyed.

विपक्षी की दोष सिद्धि घोषित की गई हैं, जिससे अर्थदण्ड विपक्षी को किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः को उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने से अभियुक्त संख्या 1 श्री सुजानमल चीपड पुत्र सोहनलाल चीपड (विक्रेता/एफ.बी.ओ.) फर्म मानसी प्लाजा, 7 ए मीरा नगर, पंचायत समिति के सामने चित्तौड़गढ़ राज., स्थाई निवास ए 5 महेश नगर, बांगड सर्विस स्टेशन के पीछे भीलवाडा रोड चित्तौड़गढ़ को रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये मात्र, अप्रार्थी संख्या 2 श्री राजकुमार जैन पुत्र ओमप्रकाश जैन (प्रोपरायटर) फर्म/मैसर्स विकास एजेन्सीज, दुकान नं. 01, बालाजी मार्केट सेतु मार्ग चित्तौड़गढ़ राज., स्थायी निवास 199 बीएसएनएल टॉवर के पास, शास्त्री नगर चित्तौड़गढ़ राज., पिनकोड 312001 को रूपये 15,000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये मात्र एवं उक्त खाद्य पदार्थ के निर्माता अप्रार्थी संख्या 3 श्रीमति संतोष डाड पत्नि राकेश डाड (प्रोपरायटर) फर्म/मैसर्स अंजली फूड इण्डस्ट्रीज, न्यू ईरान्स, कोटा रोड, सुवाना जिला भीलवाडा, स्थायी पता 8 एम 4, आर.सी. व्यास कॉलोनी, अंजली, भीलवाडा पिनकोड 311001 को रूपये 35,000/– अक्षरे पैतीस हजार रूपये मात्र अर्थात् अप्रार्थीगण को कुल रूपये 60,000/– अक्षरे साठ हजार रूपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता हैं।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 15.04.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:13 IST
Reason: SelfAttested